न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

मल्लूलाल बनाम सरकार

मु० नं० – 112/2024

22/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वादी की बहस का मनन किया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया।

निर्णय आज तहे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तैमिल दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
112 / 2024	07 / 08 / 2024	22 / 10 / 2024

1. लल्लूलाल पुत्र गोकूलचन्द जाति कुमावत निवासी बी–30बी, आनन्दपुरी, जयपुर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1 राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :– वकील वादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णयः–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 105, 62, 63, 64 किता 4 कुल रकबा 0.9200है0 एवं खसरा नम्बर 563/91,87, 88, 89, 90 किता 5 कुल रकबा 0.8000है0 भूमि ग्राम नोन्दपुरा, पटवार हल्का राहोरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित के राज़स्व रिकार्ड में वादी की जाति का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण अंकित होकर वास्तविक व दस्तावेजी नाम के विपरित दर्ज होने से विवादित आराजियात है। वादी ने साबिक खसरा नम्बर 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10 में हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 2/15 भाग एवं खसरा नम्बर 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 में हिस्सा 1/15 अनुसार भूमि को पूर्व खातेदार बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जोगी निवासी नोनपुरा से जरिये पंजिकृत विकय पत्र खरीद किया है, जो वादी के हित में निष्पादित विकय पत्र दिनांक 21.09.2007 को उप पंजीयक कार्यालय जमवारामगढ में पंजिबद्व किया गया है। जिसके मुताबिक वादी का राजस्व इन्द्राज खातेदारी दर्ज चला आया है। जिसके पश्चात नवीन खसरा नमबर 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99 एवं खसरा नम्बर 62, 63, 64 अनुसार कायम किये गये। जिसके पश्चात नवीन खसरा नम्बरान की भूमि के संबंध में तकासमा के वाद में निर्णय व डिक्री अनुसार जरिये विभाजन कार्यवाही में वादग्रस्त खसरा नम्बर 105, 62, 63, 64 किता 4 कल रकबा 0. 9200है0 में हिस्सा 1/30 भाग एवं खसरा नम्बर 563/91, 97, 88, 89, 90 किता 5 कुल रकबा 0. 8000है0 में हिस्सा 3/80 भाग अनुसार भूमि के रिकार्ड मे वादी का नाम इन्द्राज खातेदारी दर्ज कर दिया गया। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमियों के संबंध में वादी के हित में उक्त मद सं0 2 में वर्णितानुसार विकय पत्र निष्पादित व पंजिबद्व किया गया, जिसमें वादी की जाति कुमावत अंकित है, जो कि वादी की सही व वास्तविक जाति है, जिसके अनुसार ही वादी के खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति का अमल दरामद किया जाना चाहिए था। लेकिन वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति कुमावत के बजाय खसरा नम्बर 105, 62, 63, 64 किता 4 कुल रकबा 0.9200है0 के रिकार्ड में वादी की जाति रैगर एवं खसरा नम्बर 563/91, 87, 88, 89, 90 किता 5 कुल रकबा 0.8000है0 के रिकार्ड में वादी की जाति वर्मा त्रुटिपूर्ण अंकित व दर्ज चला आ रहा है, जो कि एक लिपिकीए भूलवश राजस्व विभाग के पटवारी हल्का द्वारा त्रुटिपूर्ण अंकन है। जिसको दुरूस्त कराने का वादी अधिकारी है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 105, 62, 63, 64 किता 4 कुल रकबा 0.9200है0 किता 5 कुल रकबा 0.8000है0 के रिकार्ड में वादी की जाति रैगर एवं खसरा नम्बर 563/91, 87, 88, 89, 90 किता 5 कुल रकबा 0.8000है0 के रिकार्ड में वादी की जाति वर्मा के बजाय वादग्रस्त भूमियों के रिकार्ड में वादी की जाति कुमावत अनुसार दुरूस्ती करने की घोषणा की जावें तथा तदानुसार वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व इन्द्राज में वादी खातेदारी का शुद्धिकरण व दुरूस्तीकरण करने की आज्ञा व आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24/5490 दिनांक 10.10..2024 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान जमाबन्दी ग्राम नोन्दपुरा के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 105, 62, 63, 64 किता 4 रकबा 0.9200है0 में वादी का हि0 1/30 जाति रैगर एवं खसरा नम्बर 563/91, 87, 88, 89, 90 किता 5 रकबा 0.8000है0 में वादी का हि0 3/80 जाति वर्मा सा0 30 आनन्दपुरी जयपुर के नाम सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। संलग्न रजि0 विक्रय पत्र सं0 2007002038 दिनांक 21.09.2007 अनुसार साबिक खसरा नम्बर 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, एवं साबिक खसरा नम्बर 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 में से पूर्व खातेदार बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जोगी (विक्रय पत्र) में वादी केता लल्लूलाल वर्मा पुत्र गोकूल चन्द वर्मा जाति कुमावत नि0 30 आनन्दपुरी जयपुर को बेचान होकर राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति कुमावत के स्थान पर रैगर एवं वर्मा गलत अंकित हो गई है। वर्तमान खसरा नम्बर 105, 62, 63, 64, 563/91, 87, 88, 89, 90 में वादी की जाति कुमावत के बजाय रैगर व वर्मा सहवन से त्रुटि होकर अंकित है। अतः रजि0 विक्रय पत्र एवं आधार कार्ड, पार्षद रिपोर्ट के अनुसार वादी की जाति रैगर एवं वर्मा के स्थान पर कुमावत शुद्व किया जाना अपेक्षित है।

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नोन्दपुरा, पटवार हल्का पापड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 105, 62, 63, 64 किता 4 कुल रकबा 0.9200है0 किता 5 कुल रकबा 0.8000है0 के रिकार्ड में वादी की जाति रैगर एवं खसरा नम्बर 563/91, 87, 88, 89, 90 किता 5 कुल रकबा 0.8000है0 के रिकार्ड में वादी की जाति वर्मा के बजाय जाति कुमावत का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 22.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अजं अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

1. लल्लूलाल पुत्र गोकूलचन्द जाति कुमावत निवासी बी–30बी, आनन्दपुरी, जयपुर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

मु0 नं0 :– 112/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री महेश शर्मा एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नोन्दपुरा, पटवार हल्का पापड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 105, 62, 63, 64 किता 4 कुल रकबा 0.9200है0 किता 5 कुल रकबा 0.8000है0 के रिकार्ड में वादी की जाति रैगर एवं खसरा नम्बर 563/91, 87, 88, 89, 90 किता 5 कुल रकबा 0.8000है0 के रिकार्ड में वादी की जाति वर्मा के बजाय जाति कुमावत का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

डिक्री दिनांक 22.10.2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा	रुपये	पैसे
मुदई		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबतूहजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा	रुपये	पैसे
मुदालयह		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबतूहजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ